

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

05.09.24

आज यह पञ्जावली पेशा हुक्म अमर पक्ष
अधिवक्ता उपस्थित। हमने अमर पक्ष अधिवक्ता को
दलीलों एवं बहस में मनन किया गया। वही/पक्ष
अधिवक्ता द्वारा प्रारंभ में अंकित लक्ष्यों को दोहराते
हुए मजाल विवादित अमर को वही/पक्ष व अमर व तरती
परिवारी गण की धृक्क सम्बन्धित है तथा खोन. 862
वही/पक्ष एवं तरती की परे वही/पक्ष को अमानूर प्राप्त
हुआ था जिस पर 40-50 वर्ष पूर्व से मजान निवर्ण व
सिमा लेकिन मजाल परे वही/पक्ष ने चालाकी से इसमें
से 1/9 हिलसे की खाते पारी अपने नाम करी ली है जहाँ
पुनः विभाजन का मजाल परे वही/पक्ष को जरिये अस्थाई
निर्देशना से पब्लिश किया जावे।

अधिवक्ता परे वही/पक्ष (वे 2 ने जवाब) प्रारंभ
में अंकित वि-5 में को दोहराते हुए मजाल करी/पक्ष
खोन. 862 खण्ड 0.27 में से 1/9 हिलसे अमर की
सुविधा अनुष्ठा प्राप्त हुआ है तथा बरवारी नियमों के
अनुष्ठा राजस्व अधिकाधिक्य द्वारा क. दिनांक 16.6.29
को राजस्व रिपोर्ट में अमर किया गया अतः वही/पक्ष
का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अमर पक्ष अधिवक्ता को की दलीलों एवं एवं
बहस में मनन किया ~~से पब्लिश~~ तथा पञ्जावली को अधोपार
अध्ययन किया व प्रस्तुत दायी परियों का अवको जन किया
गया प्रस्तुत वर्तमान रिपोर्ट एवं दायी परियों से भी प्रथम
दुल्हना केस व सुविधा का समन्वयन प्राचीनता के हक
में प्रतीत नहीं होता। हकों का निर्धारण दावे में होगा।
अतः प्रार्थना पत्र प्राचीनता खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र सायबान खारिज किया जाता है।
इस न्यायालय का दिनांक 18.6.24 का स्थान निरस्त किया जाता है।
पञ्जावली के सुप्रीम प्रमाल हो का नम्बर से कम है।

निर्णय आज दिनांक 05.09.24 को सिद्धा
जायक से हुआ वही प्रमाणित।

(सन्चन सादर)
अपरवर्द्ध अधिकारी
पञ्जावली